भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 5464

उत्तर देने की तारीख : 03.04.2025

एमएसएमई के समक्ष आने वाली कठिनाइयां

5464. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आयकर अधिनियम की धारा 43ख(ज) के माध्यम से लागू किए गए 45 दिनों के भीतर भुगतान संबंधी खंड के कारण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के समक्ष आने वाली समस्याओं की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) संघों की मांग पर विचार करते हुए इस खंड के उपबंधों को हटाने अथवा उनमें ढील देने की योजना बना रही है ताकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए बेहतर व्यावसायिक वातावरण बनाया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए वित्त अधिनियम 2023 के माध्यम से, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43ख में खंड (ज) को सम्मिलित किया गया था। इस खंड में यह प्रावधान है कि किसी भी सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) को करदाता द्वारा देय कोई भी राशि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 में निर्दिष्ट समय सीमा से परे, जो 45 दिनों से अधिक नहीं हो सकती है, केवल वास्तविक भुगतान पर कटौती के रूप में अनुमत किया जाएगा।

एमएसएमई संघों सहित अनेक हितधारकों ने समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु शुरू किए गए इस कदम का समर्थन किया है, क्योंकि इससे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को लाभ होगा, जो विलंबित भुगतानों, नकदी प्रवाह और वित्तीय बाधाओं के कारण व्यवसाय बंद होने के जोखिम जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे।

*****